

न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 7/2019 GCMS No 2019/00186

दायरा तिथि : 13.12.2019

फैसला तिथि : 30.07.2021

प्रार्थी:-

वसनसिंह पुत्र अनोपसिंहजी जाति राजपुत

निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राज०)

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:-

1. श्री राजेन्द्रसिंह पंवार अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री नरेन्द्र चौहान..... परोकार सरकार नायब तहसीलदार

-:: आदेश ::-

दिनांक - 30.07.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर उसके द्वारा ग्राम विरमपुरा तहसील बाली में सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 1499, 1513, 1514, 1515, 1516 कुल खसरा-05 कुल रकबा 5.29 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम किशनसिंह पुत्र अनोपसिंह को दुरस्ती के माध्यम से वसनसिंह पुत्र अनोपसिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमावंदी की प्रति, भामाशाह कार्ड, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी मोटर व्हीकल लाईसेंस, आयकर विभाग के पैन कार्ड, फोटो कांपी आधार कार्ड, फोटो कांपी राशन कार्ड, फोटो कांपी पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग की प्रति, एवं स्कूलिंग टी.सी. की प्रतियाँ पेश की गई। इसके साथ ही ग्राम चामुण्डेरी राणावतान में धारित की जा रही कृषि भूमि खसरा नंबर 1971 रका 2.09 की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रार्थी का सही नाम वसनसिंह पुत्र अनोपसिंह दर्ज है, की प्रतियाँ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलव की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम किशनसिंह पुत्र अनोपसिंह दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित अन्य सरकारी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, टी.सी., पैन कार्ड, फोटो पहचान पत्र में तथा प्रार्थी द्वारा चामुण्डेरी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 1971 में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम वसनसिंह पुत्र अनोपसिंह दर्ज होना स्वीकार किया, तथा वसनसिंह अनोपसिंह का पुत्र होने की पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत चामुण्डेरी एवं ग्राम चामुण्डेरी में मौतविरान द्वारा करने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम किशनसिंह पुत्र अनोपसिंह के स्थान पर वसनसिंह पुत्र अनोपसिंह शुद्ध किये जाने वावत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री ओमदवे ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम वसनसिंह पुत्र अनोपसिंह है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज यथा भामाशाह कार्ड, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी मोटर व्हीकल लाईसेंस, आयकर विभाग के पैन कार्ड, फोटो कांपी आधार कार्ड, फोटो कांपी राशन कार्ड, फोटो कांपी पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग की प्रति, एवं स्कूलिंग टी.सी. की प्रतियाँ पेश की गई। इसके साथ ही ग्राम चामुण्डेरी राणावतान में धारित की जा रही कृषि भूमि खसरा नंबर 1971 रका 2.09 की प्रति भी पेश की गई हैं, जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम विरमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 1499, 1513, 1514, 1515, 1516 कुल खसरा-05 कुल रकबा 5.29 हैक्टर में नाम किशनसिंह पुत्र अनोपसिंह दर्ज है, जिसको दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के जबाव व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम विरमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 1499, 1513, 1514, 1515, 1516 कुल खसरा-05 कुल रकबा 5.29 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम किशनसिंह पुत्र अनोपसिंह को विलोपित करते हुये सही व शुद्ध नाम ओम प्रकाश पुत्र चिमनाजी दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भन्दर को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)

आई.ए.एस.

भू० अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू० अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली